

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक NR.1230 / नं० नि०

श्री मती लीता देवी, श्री गती दुस्मिता देवी  
पति - श्री लाल सिंह एवं श्री भिवन-दन सिंह एवं अन्य,  
पत्न - श्री र. विजायत सिंह आस सख्तार। पिता - श्री कामेश्वर सिंह,  
धनबाद, दिनांक 11/11/16  
धनबाद।

विषय:- आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केस नं० बी०डी० 950/12-13  
संबंधी आपके आवेदन दिनांक 2.1.3.13 के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन दलील संख्या - 9939, 9940 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या 4, 3, 11, 86-87  
जमाबंदी संख्या 288.1.2280 से निर्गत लगान रसीद वर्ष 14-15 की अभिप्रमाणित प्रति, षष्ठ्य पत्र एवं  
Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किए गए अनुशांसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत  
आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन संबंधी बी० डी० केश नं० 950/12-13 के नक्शों की  
स्वीकृति प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि हीरापुर-07 मौजा अन्तर्गत खाता नं० 112 प्लॉट  
नं० 385 रकबा 5910.06 वर्ग मीटर भूमि पर स्वीकृत नक्शों के अनुसार लाईसेंसी अभियन्ता  
श्री डी. ए. एस. एस. एस. की देख रेख में कार्यारम्भ के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी  
को कार्यारम्भ की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

स्वीकृत नक्शों के अनुसार अधिकतम 2 वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित  
जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।

प्रबंध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के बगैर किये गये किसी भी विचलन निर्माण को नियांभत नहीं किया जा  
सकेगा, बल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय समय पर कराना  
सुनिश्चित करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शों में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

भाड़ा भवन विनियम के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा,  
स्वत्व, अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा स्वीकृत किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये  
किया जा सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रयुक्त भूमि पर स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप वन्य जिम्मेदार रहेंगे तथा स्वीकृत आदेश राज्य  
सरकार/नेशनल बिल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निर्देशों एवं प्रावधानों से अतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में कुल रु० 1600 जमा कि.ा गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा  
सहायक श्रमायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

स्टक्वर डिजायन, सोवायल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरू करने के पहले या 10 दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर  
निर्माण कार्य स्थगित करना पड़ेगा।

Plinth के निर्माण के बाद आवेदक सूचित करेंगे और अभियंता स्थल जाँचकर प्रतिवेदन देंगे, तत्पश्चात ही  
अग्रे की निर्माण कार्य जारी रहेगी। साथ ही प्लिंथ और इलेक्ट्रीकल सम्बन्धित नक्शा भवन निर्माण  
के पूर्ण होते ही निश्चित रूप से जमा कर देंगे।

10/11/16  
कार्यपालक अभियन्ता  
नगर निवेशन विभाग,  
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार  
धनबाद। 10/11/16

Ravi Kant Singh

# खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक:- 4/P. 3.15 / न0नि0

सेवा में,

श्री जयन्त कुमार सिंह  
पिता/श्री राम प्रसाद सिंह आदि अन्य,  
पता धनबाद, धनबाद।

धनबाद, दिनांक:- 27/6/16

विषय- आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं0 बी0डी0- 43/16-17  
संबंधी आपके आवेदन दिनांक- 04.06 के संबंध में।

महोदय,

आपके आवेदन, दलील संख्या- 2101 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या- 1362/11/15-16  
जमाबंदी संख्या- 1082 से निर्गत लागान रसीद वर्ष 15-16 की अभिप्राणित एति, शपथ  
पत्र एवं Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुज्ञा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/व्यवसायिक/  
औद्योगिक, संस्थागत भवन संबंधी बी0डी0 केश नं0- 43/16-17 के नक्खे की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक, खनिज  
क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि धनबाद-07 मौजा अन्तर्गत खाता नं0- 112  
प्लॉट नं0- 385 रकवा 9311.33 वर्ग फीट भूमि पर स्वीकृत नक्खे के  
अनुसार सैन्सी अभियन्ता श्री जयन्त कुमार सिंह की देख-रेख में कार्यान्वयन के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी  
की कार्यन्वयन की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। स्वीकृत नक्खे के अनुसार अधिकतम 2 (दो) वर्षों में कार्य पूर्ण कर अधिनियम के  
प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे।  
प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के वेगैर किये गये किसी भी विचलित निर्माण को नियमित नहीं किया जा सकेगा,  
वल्कि उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय - समय पर कराना सुनिश्चित  
करेंगे।

आप स्वीकृत नक्खे में दर्शाये नाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

माडा भवन विनियमन के दायरे में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संस्थागत भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्का, स्वत्व,  
अधिकार एवं दखल का प्रमाण नहीं है।

जिस प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्का किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा  
सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रस्तावित भूमि पर भुस्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य सरकार  
/नेशनल विल्डिंग कोड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदन द्वारा उपकर के मद में 287 कुल रू0 67000/- जमा किया गया है। शेष  
राशि आवेदन द्वारा स्थायक श्रमायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

सूचकर डिजायन, सोवायल टेस्ट रिपोर्ट काम शुरू करने के कपहले या 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करने पर निर्माण कार्य  
स्थगित करना पड़ेगा।

प्लीन्थ के निर्माण के बाद आवेदन सूचित करेंगे और अभियन्ता स्थल जाँचकर प्रतिवेदन देंगे, तत्पश्चात ही आगे की निर्माण  
कार्य जारी रहेंगे। साथ ही प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीकल सम्बंधित नक्का भवन निर्माण के पूर्ण होते ही निश्चित रूप से जमा कर देंगे।

25/06/16

कार्यपालक अभियन्ता

नगर निवेशन विभाग,

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार,

धनबाद।

Ravi Kant Singh